




प्रतिलिपि :-

1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, पटना एवं इस विभाग को प्रेषित हेतु।
2. उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, पटना को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को दस प्रतियों में भेजने के लिये।
3. समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।  
✓